

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/ 2205

जयपुर, दिनांक: 4/07/19

:: आदेश ::

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 नियम-35A(2) में मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही लगाने संबंधी प्रावधान अंकित है। नियम-35A(2) के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

(2) (a) Before permitting a voter to vote, the presiding officer shall cause a mark to be put on the left forefinger of the voter with an indelible ink;

Provided that where such a mark already exists on the left forefinger of the voter, it shall be deemed that he had cast his vote already at the election and shall not be permitted to vote.

Provided further that no voter shall be allowed to vote unless he has allowed a mark to be put on his left forefinger with an indelible ink.

(b) Any reference in this sub-rule to the left forefinger of a voter shall in the case where the voter has his left forefinger missing, be construed as a reference to any other finger on his left hand and shall in the case where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefinger of the right hand and shall, in case the fingers of both the hands are missing, be constructed as a reference to such extremity of the left or right arm as he possesses.

लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के पश्चात् होने वाले नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही का निशान यदि दृष्टव्य (Visible) है तो मतदान अधिकारियों के समक्ष मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान लगाने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः आयोग राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 97 (कठिनाइयों का निराकरण) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी करता है :-

1. लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् होने वाले नगरपालिकाओं के निर्वाचन में लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन हेतु अंकित किया गया अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में अमिट स्याही का निशान सभी मतदाताओं

के दायें हाथ की तर्जनी अंगुली (Right Hand Fore-Finger) पर अंकित किया जाएगा। (लोकसभा एवं विधानसभा के किसी निर्वाचन में पुनर्मतदान के तुरन्त पश्चात् यदि नगरपालिकाओं के निर्वाचन होते हैं तो ऐसी स्थिति में अमिट स्याही लगाने हेतु पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।)

2. नगरपालिकाओं के चुनाव के दौरान पुनर्मतदान (Re-poll) की स्थिति में अमिट स्याही का निशान मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जाएगा।
3. उक्त निर्देशों की क्रियान्विति में यदि किसी मतदाता के किसी हाथ की संबंधित अंगुली नहीं हो, तो वहां अमिट स्याही का निशान अंकित किए जाने हेतु नियम-35A(2)(b) में दी गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी।

आज्ञा से,

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014-15 / 2206-10

जयपुर, दिनांक: 4/07/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) (नगरपालिका), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर